

जवाहर नवोदय विद्यालय, नगरपारा, भागलपुर
आम मंजरी बन्दोवस्ती 2021 हेतु शर्त



1. विद्यालय परिसर में उपलब्ध डी0एल0एड0 पुराने भवन के पीछे स्थित आम वृक्षों के मंजरी/फल की बन्दोवस्ती की जानी हैं। डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति डाक बोलने से पहले विद्यालय परिसर के आम मंजरी के लगे पेड़ों का स्वयं भौतिक सत्यापन/स्थलीय जाँच विद्यालय प्राचार्य के समक्ष अवश्य कर लें।
2. आम मंजरी के बचाव हेतु की जानेवाली कीटनाशक दवा का दुष्प्रभाव विद्यालय प्रांगण के वातावरण पर न पड़े इसका ध्यान बन्दोवस्ती लेने वाले को रखना अनिवार्य है अतः उचित कीटनाशक का ही प्रयोग करे।
3. आम तोड़ते वक्त वृक्ष को कोई हानि न हो अन्यथा वृक्ष की क्षति होने पर तदनुसार कार्यवाई की जाएगी।
4. आम की देख भाल व सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बन्दोवस्ती लेने वाले को करनी होगी।
5. आम के फल की रखवाली /फल की सुरक्षा हेतु अधिकतम 3 व्यक्तियों को बन्दोवस्ती लेने वाले को रखने की अनुमति दी जाएगी। रखवाली के लिए रखे जाने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र मुखिया/प्रमुख द्वारा निर्गत बन्दोवस्ती प्रपत्र के साथ देना अनिवार्य होगा।
6. बन्दोवस्ती लेने वाले को आचरण प्रमाण- पत्र संबंधित पंचायत के मुखिया से बनाकर एवं आधार कार्ड/वोटर कार्ड बन्दोवस्ती शर्तावली के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।
7. आम की देख भाल व सुरक्षा दृष्टि से परिसर में रहने वाले पहरेदार को स्वयं के रहने तथा खाने की व्यवस्था करनी होगी।
8. आम के वृक्ष की साफ-सफाई, खाद इत्यादि पर होने वाला व्यय बन्दोवस्ती लेने वाले को ही करना होगा तथा किसी प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
9. पूरे बगीचे की सफाई की पूरी जिम्मेदारी बन्दोवस्ती लेने वाले की होगी।

कृ.पू.उलटें



10. आम के फलों की बिक्री विद्यालय परिसर से बाहर करनी होगी तथा बगीचे को 19.06.2021 तक खाली करना होगा। सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा कोई सेवा कर /अन्य विशेष कर यदि देय हो तो बन्दोवस्ती लेने वाले को सेवा कर/ अन्य विशेष कर जमा करना होगा ।
11. विद्यालय परिसर में कोई भी वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। किसी भी विवाद के लिए विद्यालय प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा ।
12. बन्दोवस्ती लेने वाले के द्वारा विद्यालय परिसर में फल की सुरक्षा हेतु कार्यरत पहरेदार को पूर्णतः नशामुक्त होकर रहना होगा अन्यथा नवोदय विद्यालय समिति के नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।
13. बन्दोवस्ती में भाग लेने से पहले सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत का डिमांड ड्राफ्ट जो प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपाडा, भागलपुर के नाम भुगतये, सिंहपुर, मधुरापुर, स्टैंट बैंक, आई एफ एस सी कोड SBIN0010768 के पक्ष में होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
14. आम की बन्दोवस्ती हेतु सौरात की सुरक्षित राशि रू0 35650/. से कम की बोली स्वीकार्य नहीं होगी। उपरोक्त राशि से जो सबसे अधिक राशि की बोली लगाएंगे उन्हें शर्तों के अनुसार आम के वृक्षों की बन्दोवस्ती दी जाएगी।
15. यदि दिनांक 18, 22, 25.02.2021 में से जिस भी तिथि में पहले बन्दोवस्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद की अन्य तिथियाँ स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

बन्दोवस्ती लेने वाले का हस्ताक्षर

नाम:

1

पता:

2

मोबाईल नं0: